न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– नयन गौतम आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 119/2025

जसवीर सिंह पुत्र बरकत सिंह जाति जटसिख उम्र 72 वर्ष निवासी चक 9 एच बड़ा, संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत पाईप लाईन

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी

दिनांक :– 24.12.2025

– :: निर्णय ::–

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी चक 9 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी का रजिस्टर्ड पता वही है जो कि शीर्षक में अंकित करवाया गया है। चक 9 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के संयुक्त खाता संख्या 25/24 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1 से 24 (प्रत्येक में 0.253 हे.) कुल 5.060 हे. कृषि भूमि में से प्रार्थी के नाम (जसवीर सिंह पुत्र बरकत सिंह) से 3479/5060 हिस्सा यानि 3.479 हे. कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। प्रार्थी ने अपने नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 में टयूबवैल लगाया हुआ है इसी चक 9 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/34 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1 से 10, 11 से 15 की 3.100 हे. एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 से 15 की 3.163 हे. कुल 6.263 हे.नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी के पुत्र राजदीपक व प्रार्थी के स्वर्गीय भाई बलवीर सिंह के पुत्र यादविन्द्रपाल सिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं इसी चक 9 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 16/12 के मुरब्बा नम्बर 28 व 30 की कुल 5.655 हे. कृषि भूमि में से प्रार्थी की पत्नी मनजीत कौर के नाम 0.886 हे. कृषि भूमि से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि की संयुक्त काश्त प्रार्थी द्वारा की जाती है। प्रार्थी चक 9 एच बड़ा के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 में लगे टयूबवैल का पानी अपने व अपने परिवार की कृषि भूमि में ले जाने हेतू मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 से 5 के उतरी हिस्सा में बट से चिपते चल रहे सार्वजनिक रास्ता में भुमिगत पाईप लाईन बिछाकर ले जाना चाहता है। मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 से 5 के उतरी हिस्सा में सार्वजनिक रास्ता है । उक्त पाईप लाईन से किसी भी काश्तकार को कोई नुकसान नहीं है तथा सार्वजनिक रास्ता को भी कोई नुकसान नहीं है प्रार्थी इसी जगह से वैकल्पिक/अस्थाई व्यवस्था अनुसार पाईप लाईन डालकर सिंचाई कर रहा है उक्त भूमिगत पाईप लाईन सबसे

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नजदीक रास्ता यही है इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है । प्रार्थी को अपने खेत में सिंचाई की व्यवस्था हेतू उक्त पाईप लाईन की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी यह भी निवेदन करता है कि श्रीमान जी न्यायालय द्वारा यदि उक्त पाईप लाईन हेतू कोई मुआवजा राशि तय की जाती है तो प्रार्थी अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी नेकनीयत है, प्रार्थी के खेत में सिंचाई के लिए पानी की समुचित व्यवस्था हेतू उक्त जगह से पाईप लाईन के अलावा प्रार्थी के खेत में पानी ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने आज से पूर्व पाईप लाईन के सम्बन्ध में भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 26/06/2025 को अभियान के दौरान प्रार्थी ने पाईप लाईन की स्वीकृती हेतू निवेदन किया तो श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर करने की हिदायत दी गई इसलिए प्रार्थी के पास उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए वाद कारण प्राप्त है। प्रार्थना पत्र श्रीमान जी न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र वाद कारण से बिना किसी विलम्ब के पेश है प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र एवं सम्बन्धित जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात संलग्न है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न अनुतोष दिलवाया जावे :–

(क) :– चक 9 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 में लगे टयुबवैल से मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 से 5 के उतरी हिस्सा में चल रहे सार्वजनिक रास्ता में भुमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति प्रदान की जावे।

(ख). उक्त पाईप लाईन का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग). अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक 7131 दिनांक 14.10.2025 के रिपोर्ट पेश की गई जिसमे अंकित तथ्यानुसार उक्त विषयक के सम्बन्ध में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका अनुसार राजस्व रिकार्ड चक 9 चक बड़ा के जमाबन्दी खाता संख्या 25 में मु.नं. 14 में 5.060 हैक्. रकबा जसवीरसिंह बरकतसिह व यादविन्द्रसिंह पुत्र बलवीरसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है। मौके पर मु.नं. मु.नं. 14 के कि.नं. 21 में प्रार्थी जसवीरसिंह पुत्र बरकतसिंह का ट्युबबेल निर्मित है। उक्त ट्यूबबेल का पानी मु.नं. 44 व 45 में प्रार्थी के पुत्र राजदीपक व सगे भतीजे यादविन्द्रसिंह के नाम दर्ज कृषि भूमि व मु.नं. 28 में प्रार्थी की पत्नी के नाम दर्ज कृषि भूमि में सिंचाई हेतु ले जाना चाहते है। मु.नं. 14 के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित मु.नं. 16 के कि.नं. 1 से मु. नं. 29,34 से होते हुए मु.नं. 45 तक खाला बना हुआ है । प्रार्थी मु.नं. 14 के कि.नं. 21 में बने ट्यूबबैल से मु.नं. 16 के कि.नं. 1 ता 5 में बने सरकारी रास्ते से भूमिगत पाइपलाईन डालकर मु.नं. 16 के कि.नं. 1/2 खाला तक ले जाना चाहते है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है ।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 9 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 21 में लगे टयूबवैल से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–119/2025 अनवान जसवीर बनाम स्टेट)

मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 1 से 5 के उतरी हिस्सा में चल रहे सार्वजनिक रास्ता में भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृत निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :–

1. पाईप लाईन भूमि में चार फीट गहराई में दबाई जावेगी।

2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान भूमि में रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान रास्ते में किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर रास्ते की मरम्मत की जावेगी।

3. भूमि का मालिकाना हक राज्य सरकार को होगा। इस सम्बंध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की दावेदारी नहीं की जावेगी।

4. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़ने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपने खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थीगण से वसूल किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर